

01.09.2023:-पत्रावली आज वादी अधिवक्ता श्री राजेशदीप राय के प्रार्थना पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल किया गया। वादी अधिवक्ता श्री राजेशदीप राय द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनाम हो गया। इसलिए वाद उक्त वादपत्र आगे नहीं चलाना चाहता। पत्रावली को आज ही पेशी में लेकर वाद विद्व्रावल खारिज करने के आदेश फरमावे। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री राजेशदीप राय द्वारा की गई। अतः उक्त वादपत्र वादी मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हों

सहायक क्लर्क
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

